

AFR
Neutral Citation No. - 2024:AHC:117440
Reserved on 18.07.2024
Delivered on 24.07.2024

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 74

APPLICATION Under Section 482 No. - 617 of 2020

M/s Kitply Industries and others ----- Applicants
Through : Sri Amit Saxena, Sr. Advocate
Sri Anupam Laloriya, Adv.

Vs.

State of U.P. and another ----- Opposite Parties
Through : Sri Mithilesh Kumar, AGA
Sri Sushil Shukla, Advocate

Connected with

1. **Case :-** APPLICATION U/S 482 No. - 1355 of 2020
Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla
2. **Case :-** APPLICATION U/S 482 No. - 1361 of 2020
Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others
Opposite Party :- State Of U.P. And Another
Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla
3. **Case :-** APPLICATION U/S 482 No. - 1691 of 2020
Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Ors
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla
4. **Case :-** APPLICATION U/S 482 No. - 1976 of 2020
Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Ors
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya
Counsel for Opposite Party :- Anurag Dubey,G.A.,Sushil Shukla
5. **Case :-** APPLICATION U/S 482 No. - 44871 of 2019
Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya,Rakesh Pande (Senior Adv.)
Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

6. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 47031 of 2019

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

7. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 47828 of 2019

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

8. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 483 of 2020

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Ors

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

9. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 509 of 2020

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

10. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 516 of 2020

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

11. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 612 of 2020

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Others

Opposite Party :- State of U.P. and Another

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

12. Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 822 of 2020

Applicant :- M/S Kitply Industries And 4 Ors

Opposite Party :- State Of U.P. And Anr

Counsel for Applicant :- Anupam Laloriya

Counsel for Opposite Party :- G.A.,Sushil Shukla

CORAM : HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY,J.

1. Present bunch of applications filed under Section 482 Cr.P.C. are arising out of commercial transaction between parties, wherein number of cheques allegedly issued in favour of Complainant by applicant Company

were got dishonoured and the Complainant has initiated separate proceedings under the provisions of Section 138 of Negotiation Instruments Act, 1881 (*hereinafter referred to as "NI Act"*).

2. Legal and factual issue involved in all cases are common, therefore, all the applications are being decided by this common judgment.

Factual Matrix

3. In order to appreciate factual and legal issue involved in present cases, it would be relevant to reproduce relevant documents annexed in leading matter being Application under Section 482 No. 617 of 2020 as under:

A. Complainant has filed a complaint under Sections 138, 141 and 142 of NI Act and the same in its entirety is reproduced hereinafter:

"श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी पार्श्वनाथ बुड प्रोडक्ट्स का मालिक है। और उसके समस्त कारोबार की देखभाल करता है। परिवादी की फर्म विनियर कौर जो प्लाई वुड व प्लाई बोर्ड बनाने के काम आती है, का निर्माण करती है परिवादी की फर्म द्वारा किट प्लाई इन्डस्ट्रीज शाहबाद रोड थाना सिविल लाइन्स रामपुर को विनियर कौर सप्लाई किया गया था। जिसके भुगतान में किट प्लाई इन्ड० द्वारा एक चैक सं०- 084178 दिनांक- 05.05.2012 मुबलिग 5,00,000/- रु० का पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन्स रामपुर का दिया गया था। परिवादी द्वारा उक्त चैक नियमानुसार भुगतान हेतु अपने बैंक, बैंक ऑफ बडौदा रामपुर में नियमानुसार प्रस्तुत किया। किन्तु विपक्षीगण का उक्त चेक बिना भुगतान के इस टिप्पणी के साथ कि खाते में धन अपर्याप्त है।" वापस कर दिया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को पंजाब नेशनल बैंक के मेमो दिनांक- 16.05.2012 के द्वारा हुयी।

यह कि प्रार्थी ने दिनांक – 22.05.2015 को अपने अधिवक्ता द्वारा उक्त चैक के भुगतान हेतु उपरोक्त व्यक्तियों को नोटिस दिया। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी प्रार्थी को उक्त रकम का भुगतान नहीं किया गया। जिसका भुगतान करने के अभियुक्तगण वैधानिक रूप से जिम्मेदार है। भुगतान न होने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अभियुक्तगण उपरोक्त के किट प्लाई इन्डस्ट्रीज के पदाधिकारी है और समान रूप से फैक्ट्री के कार्य एवं भुगतान के लिये जिम्मेदार है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तगण को तलब फरमाकर धारा- 138, 141, 142 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत सजा दी जावे एवं परिवादी को उपरोक्त चेक की रकम का भुगतान मय हर्जा खर्चा दिलवाया जाये।

प्रार्थी के गवाह एकाउन्टेन्ट रोहन सिंह व बैंक कर्मचारी एवं डाक विभाग के कर्मचारी हैं।"

B. Chief Judicial Magistrate, Rampur vide impugned order dated 13.08.2012 summoned applicants No. 2 to 5, (the Company, i.e., Applicant No. 1 was not summoned since it was not arrayed as an accused) to face trial and said order is reproduced hereinafter:

"पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस तलबी पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी द्वारा मु० 5,00,000/- का चैक संख्या 084178 दिनांकित- 05.05.2012 प्रार्थी को दिया गया जिसे प्रार्थी द्वारा अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन्स, रामपुर में लगाया गया लेकिन धनराशि अपर्याप्त होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया फिर भी उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इन और अन्य आधारों का भुगतान मय हर्जा खर्चा दिलाये जाने के लिये निवेदन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा मु० पाँच लाख रुपये की धनराशि का चैक संख्या 084178 दिनांकित- 05.05.2012 प्रार्थी को दिया गया लेकिन यह चैक पंजाब नेशनल बैंक के पत्र दिनांकित- 16.05.2012 द्वारा बगैर भुगतान के वापस कर दिया गया। चैक विपक्षी सं०- 4 व 5 द्वारा जारी किये गये बताये गये हैं।

दिनांक- 22.05.2012 को विपक्षी को पंजीकृत नोटिस भुगतान हेतु प्रेषित किया गया लेकिन विपक्षी द्वारा आज तक भुगतान नहीं किया गया। यह परिवाद दिनांक- 21.06.2012 को संस्थित किया गया।

विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने से 30 दिन की समयावधि पर नोटिस की तामीला पर्याप्त मानी जाती है। परिवादी ने अपने बयान धारा- 200 द०प्र०सं० के माध्यम से परिवाद कथानक का समर्थन किया है तथा धारा- 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चैक भुगतान न होने का प्रपत्र मेमोरेडम प्रेषित नोटिस की रजिस्ट्री रसीद मूल रूप से दाखिल की गयी है। परिवाद धारा 138 के अपेक्षाओं को पूरा करता है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में विपक्षीगण देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र चन्द्र बरनावत धारा 138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत तलब किये जाने योग्य हैं।

अतः विपक्षीगण देवेन्द्र सिंह मैनेजर कार्मिक, सुरेश चन्द्र बरनावत, जी०एम०प्लान्ट शाहबाद रोड सिविल लाइन्स, रामपुर को अन्तर्गत धारा- 138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे तथा सूची गवाहान दाखिल करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 09.09.2012 को पेश हो।"

C. Applicants No. 4 and 5 being aggrieved by above order, have filed a criminal revision, which was allowed by order dated 18.06.2013 and matter was remitted back to Trial Court to pass a fresh order taking note of **Aneeta Hada Vs. M/S Godfather Travels and Tours Pvt. Ltd. 2012(5) SCC 661**. Relevant part of order is mentioned hereinafter:

"अनीता होडा बनाम मै० गोण फादर्स ट्रेवलर्स एवं टूरल्स लि० 2012 (77) ए०सी०सी० 924 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी आदि जो व्यक्ति कम्पनी के कार्य की देखरेख करने वाले हैं वह भी धारा 141 परकाम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त हैं। क्योंकि उनका दायित्व उक्त कहां है कि अन्तर्गत समझा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के पदाधिकारी समय समय पर बदल सकते हैं और कम्पनी छोड़ कर जा सकते हैं जब कि कम्पनी एक न्यायिक व्यक्ति और कम्पनी एक आवश्यक लोगो तथा प्रारम्भिक अपराधिक दायित्व कम्पनी का होगा। तथा मुख्य दायित्व कथनो का ही होगा और यदि कम्पनी के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया गया है तो दूसरी व तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को कम्पनी की ओर से उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। क्योंकि दूसरी व तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों का उत्तरदायित्व को निर्धारित करने से पहले कम्पनी के उत्तरदायित्व का निर्धारित किया जाना परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 141 के अन्तर्गत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था³ माननीय न्यायमूर्तिगण की एक वृहद पीठ की व्यवस्था है जिसमें बिना कम्पनी को अभियुक्त बनाये उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक मामला योजित किया जा सकता है या नहीं उक्त बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिये गये भिन्न भिन्न मतों की विवेचना माननीय वृहद पीठ द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादपत्र न्यायालय में माह जून 2012 में प्रस्तुत किया गया है और उससे कुछ ही दिन पहले दिनांक- 27.04.2012 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ की उक्त व्यवस्था आयी है और ऐसा समय है कि परिवादी के विद्वान अधिवक्ता भी अपर न्यायालय के संज्ञान में उक्त विधि व्यवस्था न आ पायी हो। अतः उक्त व्यवस्था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम व्यवस्था है उसके अनुसरण में समस्त बिन्दु पर अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में मे कोई निष्कर्ष नहीं किया जा सका है अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था 2012 (77) ए०सी०सी० 924 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अवर न्यायालय पुनः विपक्षी/परिवादी के परिवाद पत्र का निर्धारण किया और विधि के अनुसार आदेश पारित करें।

आदेश

निगरानीकर्ता की उक्त दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित- 13.08.2012 निरस्त करते हुये पत्रावली इस निगरानी मे दिये गये निष्कर्षों के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। अवर न्यायालय वर्तमान विधिक स्थिति को देखते हुए पुनः परिवाद पत्र का विचारण करे और अपना आदेश पारित करें। परिवादी अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक- 18.07.2012 को उपस्थित हो।"

D. The Complainant in order to fill up a legal lacuna, filed an impleadment application to implead applicant No. 1 i.e. M/S Kitply Industries, to which objections were also filed, though after remand the applicants have no lis before Trial Court. On remand, Trial Court passed a fresh impugned summoning order dated 03.09.2015 and for reference relevant part of order is mentioned hereinafter:

"उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित कम्पनी को परिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके संदर्भ में परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 16-01-2015 मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया तथा उसमें कथन किया गया कि उसने मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को विधिवत रूप से नोटिस भी दे दिया है। विपक्षी पी० के० गोयनका द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांकित 30-03-2015 के द्वारा यह कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अब मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संशोधन की प्रकृति का है।

एन०आई०एक्ट की धारा 141 कम्पनी द्वारा अपराध किये जाने के संदर्भ में प्राविधान करती है, जिसके अनुसार यदि धारा 138 एन०आई०एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में कम्पनी सहित उन सभी व्यक्तियों जो कि अपराध किये जाते समय कम्पनी के क्रिया कलापों के लिये उत्तरदायी थे, उक्त अपराध के लिये विचारण किया जायेगा व उन्हें दंडित किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत चैक किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० के द्वारा जारी किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में धारा 141 एन० आई०एक्ट के प्राविधान के अनुसार कम्पनी मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० सहित उसे जारी करने वाले व्यक्ति व कम्पनी के क्रिया कलापों के उत्तरदायी व्यक्तियों का विचारण प्रस्तुत प्रकरण के द्वारा होना चाहिये, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को परिवादी ने अभियुक्त नहीं बनाया। इस स्तर पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि न्यायालय में किसी भी अपराध का विचारण पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत दाखिल आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर या स्वयं न्यायालय द्वारा परिवाद में संज्ञान लेने के उपरांत जांच के पश्चात किया जाता है तथा दोनो ही परिस्थितियों में न्यायालय या पुलिस/विवेचनाधिकारी के ऊपर यह दायित्व है कि वह जांच/विवेचना के

दौरान प्रथम दृष्टया सभी दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विचारण प्रारंभ करें। इसके लिये यह जरूरी नहीं है, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण किया जाना है उन सभी का नाम परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हो।

अतः उपरोक्त समस्त व्याख्या, माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था, माननीय रिवीजन न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित निर्णय तथा धारा 141 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा चेयरमैन, पी० के० गोयनका, एम०डी० गौरव गोयनका, सचिव शबनम जमाल, मैनेजर कार्मिक देवेन्द्र सिंह व जी०एम प्लांट सुरेश चन्द्र बरनावत को धारा 138 पराक्राम्य विलेख अधिनियम में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा चेयरमैन, पी०के०गोयनका, गौरव गोयनका, शबनम जमाल, देवेन्द्र सिंह व सुरेश चन्द्र बरनावत को धारा- 138 पराक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु बजरिये सम्मन दिनांक 03.10.2015 को तलब किया जाये। परिवादी आवश्यक पैरवी नियमानुसार करें।"

E. Aforesaid order was again challenged before Revisional Court at the behest of all applicants, however, the same was dismissed vide impugned order dated 15.05.2019 and relevant part thereof is mentioned hereinafter:

"उक्त निगरानी सं०-२३०/१२ में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुये अवर न्यायालय द्वारा दिनांक ०३.०९.२०१५ को नवीन आदेश करते हुये मैसर्स किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा चेयरमैन पी०के० गोयनका, गौरव गोयनका, शबनम जमाल, देवेन्द्र सिंह व सुरेश चन्द्र बरनावत को धारा १३८ पराक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत विचारण हेतु तलब किया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी। मुख्यतः इस कथन के साथ कि निगरानी न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, जिसके आधार पर मैसर्स किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को अभियुक्त बनाया जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था अनीता हाडा आदि बनाम गौड फादर्स ट्रेवल्स एण्ड टूरल्स प्रा०लि० २०१२ (७७) ए०सी०सी०पृष्ठ ९२४ का विवरण रिवीजन न्यायालय के निर्णय में किया गया है। परन्तु रिवीजन न्यायालय ने इस विधि व्यवस्था के आधार पर परिवादी को यह अधिकार नहीं दिया कि वह मैसर्स किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को परिवाद में अभियुक्त बनाये। परिवादी का प्रार्थना पत्र दिनांकित १६.०९.२०१५ पूर्णतयां गैरकानूनी है। उनके विरुद्ध कोई मामला धारः १३८ पराक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बनता है। मैसर्स किटप्लाई निगरानीकर्ता सं० १ को कोई विधिक नोटिस आदि

भी प्रेषित नहीं किया गया और न ही प्राविधानित समयावधि के अन्दर परिवाद उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

इस सन्दर्भ में यदि दाण्डिक निगरानी सं० - २३०/२०१२ में पारित निर्णय दिनांकित १८.०६.२०१३ को देखें तो उपरोक्त निगरानी में यही मुख्य तकनीकी आपत्ति उठायी गयी थी कि किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को परिवाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, जो कि आवश्यक है और न उसे नोटिस भेजा गया, न दिया गया। निगरानी न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित १८.०६.२०१३ में विधि व्यवस्था अनीता हाडा आदि बनाम गौड फादर्स ट्रेवलर्स एण्ड टूरल्स प्रा० लि० २०१२(७७) ए०सी०सी० पृष्ठ १२४ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी और जो व्यक्ति कम्पनी के कार्य की देखरेख करने वाले है, वह भी धारा १४१ पराक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त है, क्योंकि उनका दायित्व उक्त धारा के अन्तर्गत समझा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के पदाधिकारी समय समय पर बदल सकते है और कम्पनी छोड़ कर जा सकते है, जबकि कम्पनी एक न्यायिक व्यक्ति है और कम्पनी एक आवश्यक पक्षकार होगी तथा प्रारम्भिक अपराधिक दायित्व कम्पनी का होगा तथा मुख्य दायित्व कम्पनी का ही होगा और यदि कम्पनी के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया गया है तो दूसरी व तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को कम्पनी की ओर से उत्तरदायी होना नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि दूसरी व तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों का उत्तरदायित्व का निर्धारण करने से पहले कम्पनी के उत्तरदायित्व का निर्धारित किया जाना पराक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा १४१ के अन्तर्गत आवश्यक है। सम्मानीय विधि व्यवस्था में यह प्राविधानित किया गया कि दूसरी व तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने से पहले कम्पनी के उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक है। पराक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा १४१ के अन्तर्गत साथ ही निगरानी न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्ष दिया गया कि माह जून २०१२ में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है और उससे कुछ ही समय पहले दिनांक २७.०४.१२ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ की उक्त विधि व्यवस्था आयी है। ऐसा सम्भव है कि परिवादी के विद्वान अधिवक्ता या न्यायालय के संज्ञान में उक्त विधि व्यवस्था न आ पायी हो। अतः उक्त व्यवस्था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम व्यवस्था है, उसके अनुसरण में उक्त बिन्दु पर अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्रगत आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सका है। अतः अवर न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था अनीता हाडा आदि बनाम गौड फादर्स ट्रेवलर्स एण्ड टूरल्स प्रा० लि० २०१२(७७)ए०सी०सी० १२४ में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर पुनः विपक्षी/परिवादी के परिवाद पत्र का विचारण करे और आदेश पारित करें। अतः निगरानी न्यायालय द्वारा उक्त के निगरानीकर्तागण की तलबी को विधि विरुद्ध नहीं बताया था। बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था अनीता हाडा आदि बनाम गौड फादर्स

ट्रैवल्स एण्ड टूरल्स प्रा० लि० २०१२ (७७) ए०सी०सी० पृष्ठ १२४ में प्रतिपादित सम्मानीय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये कम्पनी के सन्दर्भ में चूंकि कोई निष्कर्ष निर्णय में नहीं दिया गया था। निगरानी स्वीकार की गयी थी। निगरानीकर्तागण को गलत विधि विरुद्ध तरीके से तलब किया गया, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया तथा आदेश मात्र निगरानी में दिये गये निष्कर्षों के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु दिया गया। उक्त निगरानी में दिये गये निष्कर्ष व निर्णय के विरुद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा कहीं कोई कार्यवाही की गयी, ऐसा न साक्ष्य है, न कथन। अतः निगरानी में दिये गये निष्कर्ष पक्षों के मध्य अन्तिम हुये और उपरोक्त निष्कर्ष व निर्देश के अनुपालन में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक ०३.०९.१५ को प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में निष्कर्ष दिया गया कि- " एन० आई०एक्ट की धारा १४१ कम्पनी द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में प्राविधान करती है, जिसके अनुसार यदि धारा १३८ एन०आई०एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में कम्पनी सहित उन सभी व्यक्तियों जो कि अपराध किये जाते समय कम्पनी के क्रिया कलापों के लिये उत्तरदायी थे, उक्त अपराध के लिये विचारण किया जायेगा व उन्हें दण्डित किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत चैंक किटप्लाइ इण्डस्ट्रीज लि० के द्वारा जारी किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में धारा १४१ एन०आई०एक्ट के प्राविधान के अनुसार कम्पनी मैसर्स किटप्लाइ इण्डस्ट्रीज लि० सहित उसे जारी करने वाले व्यक्ति व कम्पनी के क्रिया कलापों के उत्तरदायी व्यक्तियों का विचारण प्रस्तुत प्रकरण के द्वारा होना चाहिये, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स किटप्लाइ इण्डस्ट्रीज लि० को परिवादी ने अभियुक्त नहीं बनाया। इस स्तर पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि न्यायालय में किसी भी अपराध का विचारण पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त दाखिल आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर या स्वयं न्यायालय द्वारा परिवाद में संज्ञान लेने के उपरान्त जांच के पश्चात किया जाता है तथा दोनो ही परिस्थितियों में न्यायालय या पुलिस/विवेचनाधिकारी के ऊपर यह दायित्व है कि वह जांच/विवेचना के दौरान प्रथम दृष्टया सभी दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विचारण प्रारम्भ करें। इसके लिये यह जरूरी नहीं है, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण किया जाना है, उन सभी का नाम परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हो।" जो कि विधिसंगत व न्यायोचित है। चूंकि यदि तहरीर या परिवाद में किसी अभियुक्त का नाम लिखे जाने से रह जाये तो विधि इतनी प्रभावहीन नहीं कि उक्त अभियुक्त को उसके क्रिया कलापों के लिये तलब/जांच कर विचारण न कर सके। आवश्यक यह है कि मुख्य दोषियों को चिन्हित किया जाये तथा वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनीता हाडा आदि बनाम गौड फादर्स ट्रैवलर्स एण्ड टूरल्स प्रा० लि० २०१२(७७)ए०सी०सी० पृष्ठ १२४ में प्रतिपादित सम्मानीय विधि व्यवस्था के प्रकाश में कम्पनी के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा १४४ के तहत आवश्यक है। ऐसे में विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक, तात्त्विक व क्षेत्राधिकार

सम्बन्धी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह फौजदारी निगरानी निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब भेजी जाये।"

4. Above referred both orders are impugned in first application and similar impugned orders are challenged in respective applications.

5. **Undisputed facts**

(i) All cheques in question were issued by authorised signatories of applicant-company, M/s Kitply Industries Ltd. in favour of complainant towards commercial transactions between parties.

(ii) All cheques in question were got dishonoured on ground of "insufficient balance".

(iii) Statutory notice was issued to applicants No. 2 to 5 but not to the Company, the principal offender. A complaint was filed only against applicants No. 2 to 5 under Sections 138, 141, 142 of NI Act disclosing that all proposed accused worked for the Company.

(iv) The applicants No. 2 to 5 were summoned but it was challenged and Revisional Court remanded the matter for fresh consideration in view of judgment passed by Supreme Court in **Aneeta Hada (supra)**. This order was not challenged at behest of either party.

(v) At this stage an application for impleadment of Company was filed to which objections were also filed. Though there was no specific order passed on it, however, it was taken note in impugned summoning order as well as objection to it was also taken note of.

(vi) On remand for fresh order all applicants including the Company were also summoned and challenge to it before the Revisional Court remained unsuccessful.

6. **Submission on behalf of Applicants**

(i) The complaint as filed by complainant under N.I. Act was not maintainable for non-joinder of necessary party i.e. the Company, being principal offender as contemplated in **Aneeta Hada (supra)**.

(ii) The application filed at this stage of remand to implead the Company was not maintainable as well as the application was neither considered nor allowed nor rejected.

(iii) On remand, the summoning order was passed taking an analogy of State case, whereas present is a proceedings arising out of complaint case. The Trial Court has committed a legal error by summoning the Company as well as other applicants. The said legal error was not cured by the Revisional Court as such it was perpetuated further.

(iv) The Revisional Court vide its order dated 18.06.2013 has remanded the matter which was patently illegal and should have quashed the proceedings in view of fact that Supreme Court only declares the law and the maxim ignorantia juris non excusat, a settled principle of law and therefore it could not be said that Trial Court was not aware of law pronounced by Supreme Court.

(v) Drawing analogy from provisions of Cr.P.C. for summoning accused is patently illegal in view of fact that NI Act is a complete code in itself and therefore provisions of Cr.P.C. are not applicable as has been held by Supreme Court, in **N. Harihara Krishnan Vs. J Thomas, 2018 (13) SCC 663**.

(vi) The impleadment application was not accompanied by any delay condonation application and since the complaint was filed on 20.06.2012, while impleadment application was filed on 16.01.2015, i.e. after a delay of approximately 2 ½ years, the same could not have been allowed since the same was much beyond mandatory timelines given under Section 138 of N.I Act. Reference was made to a judgement of Supreme Court in **Himanshu vs B. Shivamurthy and another, 2019 (3) SCC 797**.

(vii) A bare perusal of complaint would also demonstrate that no specific role was assigned to accused and therefore in view of law declared by Supreme Court, the applicants could not have been summoned. Reference was made to the judgements passed by Supreme Court in **Sunita Palita vs M/S. Panchami Stone Quarry: (2022)10 SCC 152**, **Siby Thomas Vs. M/s. Somany Ceramics Ltd: (2024)1 SCC 348** and **Dilip Hiraramani vs Bank Of Baroda: (2019)3 SCC 797**.

(viii) It was further submitted that without arraying Company as an accused on whose behalf cheques were issued, complaint would not be maintainable, reference was made to a three Judges judgement of Supreme Court in **Aneeta Hada (supra)**, which has consistently been followed till date. Reference was also made to **Dilip Hiraramani (supra)** and **Himanshu (supra)**.

7. **Submissions on behalf of Opposite Party No. 2/Complainant**

(i) It is a specific case of Complainant that all applicants even worked at accused Company at relevant time and were equally responsible for dishonoured cheques.

(ii) A Legal lacuna for not impleading Company was cured as admittedly an application for impleadment was filed after matter was remanded for fresh order subsequent to **Aneeta Hada (supra)**. Objection to it was also filed.

(iii) The Trial Court as well as Revisional Court has considered factum of impleadment application as such formal order on application was not required (application was neither allowed nor rejected).

(iv) The proposition of law that unless the company is made accused, its Directors/Officers cannot be prosecuted is premised on the concept of law that unless the finding of guilt is recorded against the company its Directors/Officers cannot be punished vicariously but this proposition of law has an exception that where there is a legal bar

for proceeding against the company due to operation of certain other laws, or that the company is legally disable from being prosecuted then in such case the director or the officers of the company can be prosecuted independently without the company being impleaded as accused (ref: **Ajay Kumar Radheshyam Goenka Vs Tourism Finance Corpn. of India Ltd, (2023) 10 SCC 545**). So where from their own pleadings in the instant application, the applicants had stated about the company being under the process of IBC, no prejudice is likely to be caused to Directors/Officers especially those who have signed the cheques (Applicant Nos. 3 & 4) if they are prosecuted because they can independently establish their defense in trial in terms of Section 141 (2) NI Act.

(v) The accused-applicants were first summoned vide order dated 21.9.2012 passed by the Magistrate. They had challenged it on all these grounds before Lower Revisional Court, which vide its order dated 18.06.2013 had then remanded the case to Magistrate for passing fresh order of summoning and no further challenge was made by them to such revisional order before this Court. It is thereafter that during proceedings before the Magistrate that Complainant had sought amendment in complaint seeking impleadment of Company as accused, which stands allowed impliedly when Magistrate vide his fresh order of summoning had summoned Company also on premise that cognizance is taken of offence and there is no legal bar in then summoning those who appears to be the offenders even if they were not arrayed in the title of complaint by complainant. Recourse to such amendments in complaint, which causes no prejudice to accused is legally permissible and which position of law has been exhaustively dealt with by this Court in the case of **M/s Narender Kumar @ Brothers vs State of UP & others, 2022:AHC:211261**, which is relied upon by complainant in toto.

(vi) The Director or officer of the Company who had signed the cheque can be prosecuted without making any averment in the

complaint to effect that they were in charge of, or responsible to Company for conduct of its business hence impugned complaint qua Applicant Nos. 3 & 4 survives since they were the joint signatories of the cheque. (Ref. **Sunita Palita vs Panchami Stone Quarry, (2022) 10 SCC 152**)

8. Heard learned counsel for rival parties, perused the record as well as written submissions filed by both parties.

9. **Discussion and Conclusion**

(i) In above referred undisputed facts, now the applicants have no legal right to challenge the order whereby Revisional Court has remanded the case for fresh consideration in view of **Aneeta Hada (supra)**. There was no legal requirement that applicants (proposed accused) be heard at the stage of summoning even though matter was remanded to Trial Court for this purpose. The objections filed by applicants to impleadment application was not required to be taken note of.

(ii) The first issue for consideration is whether on remand the Trial Court has to pass an order only in view of **Aneeta Hada (supra)** without consideration of impleadment application or not. If the answer would be affirmative then in strict view of **Aneeta Hada (supra)**, since principal offender i.e. Company was not arrayed as an accused therefore, no criminal proceeding could be initiated under NI Act against applicants No. 2 to 5. However, if the answer would be negative then, the Court will consider whether application for impleadment was considered and allowed or contents of impugned order do indicate that it was allowed as well as whether pleadings are to the effect that Company and applicants have committed prima-facie offence under NI Act.

(iii) The Revisional Court while remitting the case has neither put any caveat nor restricted the Trial Court to consider impleadment application in accordance with law, if so filed. It is important to note

here that none of applicants have challenged the order passed by Revisional Court whereby matter was remitted for fresh consideration.

(iv) In regard to amendment in a complaint, few paragraphs of **M/s Narender Kumar @ Brothers (supra)**, a judgement passed by this Court and relied upon by complainant would be relevant where this issue was considered in detail:-

“9. The first issue before this Court is whether amendment in a complaint was legally permissible?

10. In this regard rival parties have placed reliance on S.R.Sukumar (Supra).

11. Learned counsel for the applicants has submitted that amendment which could cause prejudice to accused, such cannot be allowed. Contrary, according to counsel for complainant no prejudice was caused.

12. Before considering rival submissions, relevant paragraphs no.18 and 19 of S.R.Sukumar (supra) would be relevant to mention hereinafter:

"18. Insofar as merits of the contention regarding allowing of amendment application, it is true that there is no specific provision in the Code to amend either a complaint or a petition filed under the provisions of the Code, but the Courts have held that the petitions seeking such amendment to correct curable infirmities can be allowed even in respect of complaints. In U.P. Pollution Control Board vs. Modi Distillery And Ors., (1987) 3 SCC 684, wherein the name of the company was wrongly mentioned in the complaint that is, instead of Modi Industries Ltd. the name of the company was mentioned as Modi Distillery and the name was sought to be amended. In such factual background, this Court has held as follows:-

"...The learned Single Judge has focussed his attention only on the technical flaw in the complaint and has failed to comprehend that the flaw had occurred due to the recalcitrant attitude of Modi Distillery and furthermore the infirmity is one which could be easily removed by having the matter remitted to the Chief Judicial Magistrate with a direction to call upon the appellant to make the formal amendments to the averments contained in para 2 of the complaint so as to make the controlling company of the industrial unit figure as the concerned accused in the complaint. All that has to be done is the making of a formal application for amendment by the appellant for leave to

amend by substituting the name of Modi Industries Limited, the company owning the industrial unit, in place of Modi Distillery... Furthermore, the legal infirmity is of such a nature which could be easily cured..."

19. What is discernible from the U.P. Pollution Control Board's case is that easily curable legal infirmity could be cured by means of a formal application for amendment. If the amendment sought to be made relates to a simple infirmity which is curable by means of a formal amendment and by allowing such amendment, no prejudice could be caused to the other side, notwithstanding the fact that there is no enabling provision in the Code for entertaining such amendment, the Court may permit such an amendment to be made. On the contrary, if the amendment sought to be made in the complaint does not relate either to a curable infirmity or the same cannot be corrected by a formal amendment or if there is likelihood of prejudice to the other side, then the Court shall not allow such amendment in the complaint."

13. xxxxx

14. xxxxx

15. xxxxx

16. In S.R. Sukumar (supra), Supreme Court has reproduced part of U.P. Pollution Control, Board (supra) wherein amendment of details of the company was allowed and it was held that Court may permit an amendment which are formal in nature though a caveat was put that in event of likelihood of prejudice to the other side, such amendment may not be allowed."

(v) To further consider the rival submissions on issue, I have carefully perused the complaint where it was specifically stated that opposite party (the Company) has issued cheques in pursuance of commercial transactions, which got dishonoured and named accused were employees of the Company and were equally responsible for dishonour, as such prima-facie allegations against the Company, being principal offender, was part of proceeding since inception and are sufficient to summon the Company also being principal offender as well as other applicants including signatories to the cheques. The Trial Court has not committed any legal error by considering an application for impleadment.

(vi) Now the Court has to consider effect of a fact that application for impleadment was neither allowed nor rejected, though from the contents of impugned order, Trial Court was apparently considering the said application only as it would be evident from first Para of impugned order and for reference said paragraph is again reproduced hereinafter:-

"उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित कम्पनी को परिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके संदर्भ में परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 16-01-2015 मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया तथा उसमें कथन किया गया कि उसने मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को विधिवत रूप से नोटिस भी दे दिया है। विपक्षी पी० के० गोयनका द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांकित 30-03-2015 के द्वारा यह कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अब मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संशोधन की प्रकृति का है।"

(viii) As referred above, the Trial Court was in fact considered the application for impleadment only but while considering the issue, it lost track and dealt the issue on different analogy i.e. power of Magistrate to summon even an accused not named in charge-sheet if so warrant, however, a fact that present case was arising out of a complaint case under a Special Act was completely ignored. Therefore, reason and analogy for allowing impugned order has a legal error and impugned order in its present form could not legally survive.

(ix) The impugned order has two errors, first impleadment application was not finally decided and secondly, reason assigned to summon applicants suffered with a legal error, however, for both errors, the complainant could not be penalized since he has done everything to summon applicants including the Company by way of filing an impleadment application.

(x) The judgments relied upon by applicants i.e. **N. Harihara Krishnan (supra); Himanshu (supra); Sinuta Palita (supra); Siby Thomas (supra)** and **Dilip Hiraramani (supra)** are on the point that if

Company was not convicted, their Director would also not be convicted either, or vicarious liability would also not fall on non-executive Directors or on summon under Section 319 Cr.P.C. No judgment on issue whether amendment could not be allowed is being placed on record. Proceedings still have not reached upto a stage, where other cited judgements would have application.

(xi) The law in regard to amendment in a complaint is being referred in **Narender Kumar @ Brothers (supra)**. The Trial Court has adopted a wrong approach to consider the case and in interest of justice such approach could not prejudice the complainant's case. In first round Revisional Court has remitted the case for fresh consideration, where impleadment application was filed in view of **Aneeta Hada (supra)** therefore, it was maintainable, however, as discussed above said application was not decided on merit.

(xii) Therefore, this Court is of considered opinion that impugned order in its present form does not survive.

10. In view of above, impugned summoning orders in all these applications are set aside and matter is remitted back to Trial Court concerned to decide the impleadment applications in accordance with law after hearing complainant only as well as taking note of above referred judgments. Applicants are not required to be heard at this stage. The proceedings shall be concluded within two months from today, if there is no legal impediment.

11. The applications are accordingly disposed of.

12. Registrar (Compliance) to take steps.

Order Date :-24.07.2024

AK